

**भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 953

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

953. श्री दिलेश्वर कामैत :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान देश में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को कम करने के लिए कोई विशेष हस्तक्षेप किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में ग्रामीण आबादी के बीच महिला अधिकारों के बारे में जागरुकता किस प्रकार बढ़ाई जा रही है;
- (ग) उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित हुई हैं;
- (घ) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान देश में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में वृद्धि हुई है; और
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं; और
- (च) सरकार द्वारा देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) से (च) : "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा सभी अपराधों जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध भी शामिल हैं, की जांच एवं अभियोजन, नागरिकों के

जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है; वे इस तरह के अपराधों से निपटने में कानूनी रूप से सक्षम हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों पर सांख्यिकीय आँकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है और इसकी वेबसाइट <https://ncrb.gov.in/en/crime-india> पर उपलब्ध है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या क्रमशः 378236, 405326, 371503, 428278 और 445256 थी। अन्य कारणों के अलावा, अपराध की बढ़ती रिपोर्टिंग का कारण पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण नागरिकों में जागरूकता का स्तर बढ़ना है, जिसमें महिला हेल्पलाइन -181, बाल हेल्पलाइन -1098 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) जैसी हेल्पलाइनों का संचालन, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की अवधारणा और पीड़ितों को संस्थागत सहायता का प्रावधान शामिल है।

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हाल के कुछ कानून एवं नीतियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं, इस प्रकार हैं:

- i. भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने एवं सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) और भारतीय सुरक्षा अधिनियम (बीएसए) को अधिनियमित किया है जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुआ। बीएनएस 2023 में, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों जो पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 में अलग-अलग दर्शित थे, को अब बीएनएसके अध्याय-V के तहत एक साथ लाया गया और समेकित किया गया है। बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, विशेष रूप से, "संगठित अपराध" से संबंधित धारा 111, विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा या पहचान को दबाकर यौन संभोग से संबंधित धारा 69, अपराध करने के लिए बच्चे को भाड़े पर लेने, काम पर रखने या उससे अपराध कराने से संबंधित धारा 95। वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदने (धारा 99), सामूहिक बलात्कार (धारा 70) और मानव दुर्व्यापार के शिकार व्यक्ति के शोषण (धारा 144) से संबंधित अपराधों के संबंध में सजा बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के प्रति कतिपय गंभीर अपराधों जैसे

वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चा खरीदना (बीएनएस की धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण अथवा अपंग करना (धारा 139) के संबंध में न्यूनतम दण्ड अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, बीएनएस 2023 की धारा 75 और 79 उत्पीड़न के विरुद्ध अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अशोभनीय यौन संकेत, यौन संबंध के लिए अनुरोध, यौन से संबंधित टिप्पणियां और एक महिला की शालीनता का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य जैसे कार्य शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिला के पास इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।

- ii. इसके अतिरिक्त, धारा 398 बीएनएसएस के प्रावधानों में गवाहों को खतरों और धमकी से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गवाह संरक्षण योजनाएं शुरू की गई हैं एवं बीएसए की धारा 2(1)(घ) में अब ईमेल पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर उपलब्ध दस्तावेजों, और डिजिटल उपकरणों में संदेशों तथा संग्रहित वॉयस मेल संदेशों को दस्तावेजों की परिभाषा के तहत कार्यस्थल पर उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है।
- iii. इसके अतिरिक्त, श्रम संहिताओं में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सम्मानजनक तरीके से बढ़ावा देने एवं नियोक्ताओं द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने के प्रावधान सामूहिक रूप से शामिल हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विशिष्ट प्रावधानों के साथ श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम करने की स्थिति को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित एवं संशोधित किया गया है।
- iv. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल में 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' (एसएचअधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए शी -बॉक्स पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने वाला केंद्रीकृत भंडार है, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र। यह शिकायतें दर्ज करने एवं इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने का एक साझा मंच भी प्रदान करता है। इस पोर्टल में एक ऐसी सुविधा है जिसमें इस पर पंजीकृत शिकायतों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के भीतर संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को स्वचालित रूप से अग्रेषित कर दी जाएगी। इस

पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है, जिसे शिकायतों की तात्कालिक निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ों/सूचनाओं को अद्यतन करना सुनिश्चित करना होता है।

- v. निर्भया कोष के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2024-25 तक, अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा 11,325.64 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) ने अब तक उपरोक्त मूल्यांकित परियोजनाओं के लिए 9058.68 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। वित्त वर्ष 2024-25 तक निर्भया कोष के अंतर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल निधि 7712.85 करोड़ रुपये है और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, निर्भया कोष से जारी और उपयोग की गई कुल निधि 6232.83 करोड़ रुपये है। इस कोष के अंतर्गत, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:

क. मिशन शक्ति व्यापक योजना का वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) घटक, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं और निजी एवं सार्वजनिक दोनों जगहों पर संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सहित सेवाओं की एक एकीकृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। देश भर में 843 ओएससी कार्यरत हैं और 31 मार्च, 2025 तक 11.19 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकमात्र बिंदु होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 14,658 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 13,743 का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं।

ग. जरूरतमंद महिलाओं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया

सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है जिसमें विभिन्न आपात स्थितियों के लिए क्षेत्र/पुलिस संसाधनों के कंप्यूटर की सहायता प्राप्त प्रेषण है। इसके शुरुआत होने के बाद से अब तक 43 करोड़ से ज़्यादा कॉल का निपटारा किया जा चुका है। ईआरएसएस के अलावा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी तरह से काम करने वाली विशिष्ट महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल -181) कार्यशील है। डब्ल्यूएचएल को भी ईआरएसएस के साथ एकीकृत किया गया है। अब तक, महिला हेल्पलाइन ने 2.30 करोड़ से ज़्यादा कॉल हैंडल की हैं और 88.24लाख से ज़्यादा महिलाओं की मदद की है।

- घ. जहां महिलाएं कार्य करती हैं एवं रहती हैं उन सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न घटकों के तहत सुरक्षित शहर परियोजनाओं को 8 शहरों (अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में कार्यान्वित किए गए हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, रेल और सड़क परिवहन परियोजनाएं जैसे रेल मंत्रालय द्वारा एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस), और ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए टैब और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं तथा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी), इत्यादि जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं लागू की गई हैं।
- vi. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने भी कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआर एंड डी ने 'पुलिस स्टेशनों में स्थापित महिला सहायता डेस्क को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम तथा पता लगाने एवं अपराध पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उपयुक्त व्यवहार और

अभिवृत्ति संबंधी कौशलों पर बल दिया गया है। बीपीआर एंड डी द्वारा संवेदनशीलता, पुलिस कर्मियों की लैंगिक संवेदनशीलता इत्यादि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

vii. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति के तहत योजना "सामर्थ्य" भी संचालित करता है, जिसमें शक्ति सदन घटक कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की राहत और पुनर्वास के लिए है।

viii. सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) जैसी संस्थाओं एवं राज्यों में उनके जैसी संस्थानों के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, दृश्य-श्रव्य, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है ताकि लोगों को महिलाओं की सुरक्षा एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों तथा नीतियों इत्यादि के बारे में भी संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं। पंजीकृत शिकायतों के संबंध में, राष्ट्रीय महिला आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए की शिकायतों का निवारण किया जाये और उन्हें तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाया जाये, मामले को स्टेकहोल्डरों, विशेष रूप से पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाता है।

ix. मंत्रालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना एवं विभिन्न योजनाओं और कानूनों के तहत पदाधिकारियों और कर्तव्य धारकों की क्षमता का निर्माण करना है।
